[2021] 7 एस. सी. आर. 710

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड

और एक और

वी.

अनिल कनवरिया

(सिविल अपील सं। 5743-5744 2021 का)

17 सितंबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

सेवा कानून-सेवाओं से समाप्ति-गैर-प्रकटीकरण /

भौतिक तथ्य का दमन और गलत घोषणा दायर करना अपीलकर्ताओं ने तकनीकी सहायक उत्तरदाता के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए-कर्मचारी को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में उक्त पद के लिए नियुक्त किया गया था नियुक्ति आदेश के अनुसार, उत्तरदाता को तकनीकी सहायक उत्तरदाता द्वारा जारी चरित्र प्रमाणन/सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एस. पी.) जहां से वे संबंधित थे-एस. पी. ने अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि प्रतिवादी को निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 341,323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, हालांकि, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ दिया गया था और प्रतिवादी-कर्मचारी को रिहा करने का आदेश दिया गया था।

अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा-यह पता लगाने के बाद कि प्रतिवादी ने जानबूझकर दोषसिद्धि और दंड के तथ्य को दबा दिया, न केवल

आवेदन करने के समय, लेकिन यह भी कि जब उसने दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान एक घोषणा प्रस्तुत की कि न तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी भी अदालत द्वारा कोई दोषसिद्धि हुई है

किसी भी आपराधिक मामले में-अपीलार्थी अपीलार्थी को समाप्त कर दिया गया था-लिखित याचिका -

उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और प्रत्यर्थी की बहाली का निर्देश दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः में।

जिस समय प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, उसने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उसे पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है, लेकिन वास्तव में, एक झूठी घोषणा दायर की गई थी कि न तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है-पुलिस सत्यापन के बाद ही, अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि के बारे में पता चला-इसलिए, अपीलकर्ताओं को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया था।

प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने में न्यायसंगत-सवाल ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता के बारे में है,

सवाल ट्रस्ट का है-बहाली का आदेश पूरी तरह से असमर्थनीय और अनुचित है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

पकड़नाः 1. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, विवादित डिवीजन बेंच द्वारा अपील को खारिज करते हुए और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किया गया, जिसमें भौतिक तथ्यों के गैर-प्रकटीकरण/दमन और गलत घोषणा दायर करने के आधार पर कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया गया और रद्द कर दिया गया।

प्रत्यर्थी-कर्मचारी को बहाल करने के लिए अपीलकर्ता अस्थिर है। [पैरा 9] [728-बी-डी]

2. इस तथ्य के अलावा कि उस समय जब प्रतिवादी ने अक्टूबर/नवंबर, 2013 के महीने में आवेदन किया था, हालांकि वह था

पहले से ही सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए और केवल अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत उन्हें लाभ दिया गया था, उन्होंने अपनी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया, लेकिन उस समय भी जब उन्होंने 14.04.2015 पर एक घोषणा दायर की थी, उन्होंने एक झूठी घोषणा दायर की थी कि न तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उन्हें किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और इस तरह की घोषणा पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं ने उन्हें नियुक्ति दी। केवल पुलिस अधीक्षक से पूर्ववर्ती की रिपोर्ट के पुलिस सत्यापन/प्राप्ति पर, अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि के बारे में पता चला। इसलिए, अपीलार्थी प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने में पूरी तरह से उचित थे। [पैरा 10] [728-डी-एफ]

3. यहां तक कि प्रतिवादी की ओर से एक अपील में सत्र न्यायालय से बाद में आदेश प्राप्त करने का आचरण और

अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्राप्त करना विचार के योग्य है। निचली अदालत द्वारा निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश 5.8.2013 पर पारित किया गया था। दो साल तक प्रतिवादी ने सत्र न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की। लगभग दो साल की अवधि के बाद और इस झूठी घोषणा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद कि न तो

उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और यह महसूस करते हुए कि उसकी दोषसिद्धि और ट्रायल कोर्ट [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत प्रदान किया गया लाभ।

केवल उनके रास्ते में आ जाएगा, बाद में दो साल की अवधि के बाद उन्होंने 11.08.29015 पर सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और अपील का एक महीने की अवधि के भीतर, यानी 9.9.2015 पर निपटारा किया गया और सत्र न्यायालय ने अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्रदान किया। निर्णय और आदेश से

पास हो गया।

सत्र न्यायालय द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने केवल अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देने के लिए अनुरोध किया था और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के संबंध में उसके द्वारा कुछ भी तर्क नहीं दिया गया था। इसलिए, केवल अधिनियम 1958 की धारा 3 के दोषसिद्धि और लाभ से बाहर निकलने की दृष्टि से और यह महसूस करने के बाद कि उसकी दोषसिद्धि उसके रास्ते में आ सकती है, उसने दो साल की अवधि के बाद एक अपील को प्राथमिकता दी और अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्राप्त किया जिसमें प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है और धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के तहत निपटा जाता है, तो उसे अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, यदि कोई हो, जो दोषसिद्धि से जुड़ा हो। ऐसी विधि के अधीन अपराध। [पैरा 11] [728-एफ-एच; 729-ए-डी]

4. इस मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे से विचार किया जा सकता है।

अर्थात्, घोषणा/सत्यापन प्रस्तुत करते समय और/या किसी पद के लिए आवेदन करते समय गलत घोषणा की गई और/या किसी आपराधिक मामले में शामिल होने के भौतिक तथ्य का खुलासा और/या दमन नहीं किया गया। यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया होता, तो शायद नियोक्ता ने उसे नियुक्त नहीं किया होता। फिर सवाल ट्रस्ट का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहां नियोक्ता को लगता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही गलत बयान दिया है और/या भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और/या भौतिक तथ्यों को दबा दिया है और इसलिए उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कर्मचारी को बनाए रखने या न रखने का विकल्प हमेशा नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। यह देखा जाता है और जैसा कि निर्णय के कैटेना में ऊपर देखा गया है जैसे कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड और एक और वी।

कर्मचारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और/या जारी नहीं रख सकता है। अधिकार के रूप में सेवा। [पैरा 12] [729-एफ-एच; 730-ए-बी]

देवेंद्र कुमार बनाम। उत्तरांचल राज्य, (2013) 9 एससीसी

363 [2013] 8 एस. सी. आर. 471; जैनेंद्र सिंह बनाम की स्थिति

उत्तर प्रदेश, (2012) 8 एस. सी. सी. 748: [2012] 6 एससीआर 1047; दया शंकर यादव बनाम। भारत संघ, (2010) 14 एस. सी. सी. 103

: [2010] 13 एस. सी. आर. 1076; अवतार सिंह बनाम। भारत संघ,

(2016) 8 एससीसी 471: [2016] 7 एस. सी. आर. 445-निर्भर। केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम। राम रतन यादव,

(2003) 3 एससीसी 437: [2003] 2 एससीआर 361; सचिव,

गृह सचिव विभाग, ए. पी. बनाम. बी. चिन्नाम

नायडू, (2005) 2 एससीसी 746: [2005] 1 एससीआर 1147; राज्य एम. पी. बनाम अभिजीत सिंह पवार, (2018) 18 एससीसी 733:

[2018] 13 एस. सी. आर. 1133; टी. एस. वासुदेव नायर बनाम। निर्देशक

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, (1988) पूरक। एससीसी

795 ; पुलिस आयुक्त बनाम। संदीप कुमार, (2011)

4 एससीसी 644: [2011] 3 एस. सी. आर. 964-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 7 एससीआर 445

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3.2

[2003] 2 एससीआर 361

पै

रा 4.7

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 एससीआर 1147

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.7

[2010] 13 एससीआर 1076

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.7

[2012] 6 एससीआर 1047

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.7

[2013] 8 एससीआर 471

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.7

[2018] 13 एससीआर 1133

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.7

[2011] 3 एससीआर 964

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.5743

5744 2021 से।

उच्च न्यायालय के 05.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की एस. बी. सिविल रिट याचिका No.6969 में 2019 की विशेष अपील रिट No.560 और डी. बी. में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक <आई. डी. 2. समीक्षा याचिका (रिट)

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2016 की एस. बी. सिविल रिट याचिका No.6969 में 2019 की डी. बी. सिविल स्पेशल अपील रिट No.560 में 2019 की <आई. डी. 1।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संदीप कुमार झा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

नवीन प्रकाश, वेद व्यास त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.09.2019 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना राजस्थान, डी. बी. में जयपुर की पीठ. विशेष अपील रिट संख्या 560/2019, साथ ही डी. बी. समीक्षा याचिका में पारित 05.12.2019 का आदेश।

3. कि इसमें अपीलकर्ताओं ने अक्टूबर, 2013 के महीने में विज्ञापन जारी करके तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उक्त विज्ञापन के अनुसार, यहाँ प्रतिवादी-कर्मचारी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा 02.02.2014 पर आयोजित की गई थी और जिसका परिणाम 31.03.2015 पर घोषित किया गया था। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि 14.04.2015 थी। कथित पद के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रतिवादी को 06.05.2015 पर दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें इसके तहत रखा गया था अधीक्षण अभियंता, आर. वी. पी. एन, जोधपुर। नियुक्ति आदेश के नियमों और शर्तों की शर्त संख्या 16 के अनुसार, प्रत्यर्थी की नियुक्ति चरित्र प्रमाणन के उत्पादन के अधीन थी /

संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सत्यापन रिपोर्ट जहाँ वे संबंधित हैं।

पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड और अन्य बनाम। अनिल कंवरिया [एम. आर. शाह, जे.]

पुलिस सत्यापन/पूर्ववर्ती रिपोर्ट दिनांक 5.6.2015 के माध्यम से अपीलार्थियों को सूचित किया गया कि प्रतिवादी के खिलाफ मामला संख्या 13/2011 है।

आई. पी. सी. की धारा 143,341,323 के तहत अपराधों के लिए कर्मचारी जिसमें प्रतिवादी-कर्मचारी के खिलाफ 17.01.2011 पर आरोप पत्र दायर किया गया था और विद्वत ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-कर्मचारी को दोषी ठहराया था।

हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 341 और 323 के तहत अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराते हुए 5.8.2013 का निर्णय और आदेश, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (इसके बाद "अधिनियम 1958" के रूप में संदर्भित) के तहत लाभ दिया गया। अधिनियम 1958 का लाभ देते समय, प्रतिवादी-कर्मचारी को अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद में भी प्रतिवादी-कर्मचारी की इस तरह की सजा की पुष्टि हुई, हालांकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से प्रतिवादी-कर्मचारी को अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्रदान किया, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि के साथ अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा।

3.1 यह पता चलने पर कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने जानबूझकर दोषसिद्धि और दंड के तथ्य को न केवल पद के लिए आवेदन करते समय, बल्कि 14.04.2015 पर भी दबा दिया, जिसके द्वारा उसने दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान एक घोषणा प्रस्तुत की कि न तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी आपराधिक मामले में किसी भी अदालत द्वारा कोई दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है और आपराधिक मामले के तथ्यों को छिपाते हुए, अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी-कर्मचारी को दिनांकित 31.08.2015 का कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया और उसे 15.03.2016 पर सुनवाई का अवसर दिया और पाया कि सक्षम अदालत द्वारा उसकी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं करने के भौतिक तथ्य के दमन को देखते हुए, प्रत्यर्थी ने

कर्मचारी को सेवा में जारी नहीं रखा जाएगा और इसलिए 6.5.2016 दिनांकित आदेश के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश केवल अवतार सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। भारत संघ ने (2016) 8 एस. सी. सी. 471 में रिपोर्ट की, और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देते हुए अपील में पारित दिनांक 9.9.2015 के आदेश पर भी रिट याचिका को मंजूरी दी और रद्द कर दिया। और समाप्ति के आदेश को दरकिनार कर दिया और अपीलकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ प्रतिवादी-कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया।

3.3 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए और खारिज करते हुए और अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश देते हुए, अपीलकर्ता-नियोक्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी क्योंकि डी. बी. 2019 की विशेष अपील रिट संख्या 560 है। डिवीजन बेंच भी केवल पैरा 38.4 पर निर्भर करती है। 1 इस न्यायालय के निर्णय का अवतार सिंह (ऊपर) के मामले में और यह देखते हुए कि कर्मचारी को उसके पिता, चाचा, भाई और चचेरे भाई के साथ तुच्छ प्रकृति के विवाद में दोषी ठहराया गया था और क्योंकि यह एक तुच्छ प्रकृति का विवाद और ऐसा विवाद था।

जिसे भले ही प्रकट किया गया हो, अधिनियम 1958 की धारा 12 के लाभ के कारण नियोक्ता द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता था, खंड पीठ ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसमें सभी परिणामी लाभों के साथ कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया गया है। यहाँ अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। 4. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी पेश हुए और अधिवक्ता श्री नवीन प्रकाश पेश हुए।

प्रतिवादी की ओर से-कर्मचारी।

4.1 अपीलार्थियों-नियोक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ दोनों ने मुख्य रूप से अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देते हुए पारित आदेश पर विचार करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत यह अपीलार्थियों के मामले का समर्थन करता है।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उस समय

जब प्रतिवादी-कर्मचारी ने विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया, तो उसे पहले से ही सक्षम आपराधिक अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 341 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसका उसने खुलासा नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भी जब उन्होंने 14.04.2015 पर दस्तावेजों के सत्यापन के समय घोषणा प्रस्तुत की, तो प्रतिवादी-कर्मचारी हालांकि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड और एक और v।

अनिल कंवरिया [एम. आर. शाह, जे.]

पहले से ही आई. पी. सी. की धारा 341 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा और उस समय, यानी <आई. डी. 1 पर, अधिनियम 1958 की धारा 3 और 4 के तहत केवल लाभ दिया गया था, उन्होंने एक झूठी घोषणा दायर की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ नहीं दिया, जो अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ केवल विद्वत सत्रों द्वारा 9.9.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से दिया गया था।

न्यायाधीश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी-कर्मचारी ने आपराधिक मामले के भौतिक तथ्य को पहले वर्ष 2013 में दबा दिया था जब उसने आवेदन प्रस्तुत किया था और उसके बाद जब उसने दस्तावेज़ सत्यापन के समय घोषणा प्रस्तुत की थी और उसके बाद जब प्रतिवादी की सेवाओं को उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद समाप्त कर दिया गया था, तो उसे विद्वान एकल न्यायाधीश और उसके बाद खंड पीठ द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायालय के बाद के निर्णय पर विचार करने में भी भौतिक रूप से गलती की है।

अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्रदान करने वाली अपील में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तारीख को प्रत्यर्थी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया था और यहां तक कि घोषणा भी प्रस्तुत की थी, उस तारीख को विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और उस समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 3 और 4 का लाभ देते हुए पारित आदेश मौजूद था। इसलिए, उच्च न्यायालय को अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्रदान करने वाले विद्वान सत्र न्यायाधीश के दिनांक 1 के बाद के निर्णय पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और/या उस पर विचार नहीं करना चाहिए था। 4.5 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले को दूसरे कोण से देखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कर्मचारी ने शुरू में भौतिक तथ्य को दबा दिया और धोखाधड़ी से नियुक्ति प्राप्त की, तो उसके बाद यह ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता, विश्वसनीयता और विश्वसनीयता का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कर्मचारी ने प्रासंगिक समय पर खुलासा किया होता कि वह आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है और/या उसे दोषी ठहराया गया है, तो उस मामले में शुरुआत से ही नियोक्ता ने उसे नियुक्त नहीं किया होता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को जारी नहीं रखना उचित है जिसने प्रासंगिक समय पर भौतिक तथ्य को दबा दिया है, इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति पर उसके बाद भरोसा नहीं किया जा सकता है और उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि खंड पीठ द्वारा विवादित निर्णय में की गई टिप्पणियों में भी कि विवाद जिसके लिए

कर्मचारी को दोषी ठहराया गया था जो एक तुच्छ प्रकृति का विवाद था और ऐसा विवाद जिसका खुलासा होने पर भी नियोक्ता द्वारा उसे दिए गए अधिनियम 1958 की धारा 12 के लाभ के कारण नजरअंदाज किया जा सकता था, बिल्कुल अप्रासंगिक है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा तर्क स्पष्ट नहीं है। यह है। प्रस्तुत किया कि इस तरह का अवलोकन अनुमानों और अनुमानों के आधार पर है कि नियोक्ता द्वारा क्या किया जा सकता था।

4.7 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। राम।

रतन यादव (2003) 3 एस. सी. सी. 437; सचिव, गृह विभाग सचिव, ए. पी. बनाम. बी. चिन्नाम नायडू, (2005) 2 एससीसी 746; दया शंकर यादव बनाम। भारत संघ, (2010) 14 एस. सी. सी. 103; जैनेंद्र

सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 748; देवेंद्र कुमार बनाम। उत्तरांचल राज्य, (2013) 9 एससीसी 363; और एम. पी. बनाम राज्य अभिजीत सिंह पवार, (2018) 18 एस. सी. सी. 733, से अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और डिवीजन बेंच द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और इसके परिणामस्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

5. प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन प्रकाश ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। यह.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 12 के तहत लाभ प्रदान करने वाले आदेश में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवाद परिवार के सदस्यों के साथ तुच्छ प्रकृति का था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने समाप्ति के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया जिसकी खंड पीठ द्वारा सही पुष्टि की गई है। 5.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसकी खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है, विशेष रूप से पैरा 38.4। 1 उक्त निर्णय।

5.2 विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी चूक या चूक की ओर से की गई

प्रत्यर्थी न तो जानबूझकर था और न ही जानबूझकर, बल्कि यह सही विश्वास के तहत था कि प्रत्यर्थी को दिए गए लाभ को देखते हुए विद्वान परीक्षण राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत और एक और v.

न्यायालय, प्रत्यर्थी को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त चूक या चूक को उदार दृष्टिकोण अपनाकर माफ किया जाना चाहिए। टी. एस. वासुदेव नायर बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, 1988 सप. एस. सी. सी. 795; पुलिस आयुक्त बनाम संदीप कुमार (2011) 4 एस. सी. सी. 644 और अवतार सिंह (ऊपर)।

5.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.01.2019 के निर्णय और आदेश में अभिनिर्धारित किया गया है, नियोक्ता-यहाँ अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी के मामले को विस्तारित करने वाली परिस्थितियों और विद्वत विचारण न्यायालय और विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 3 और 12 के तहत उसे दिए गए लाभ के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया।

5.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें अपीलकर्ता-नियोक्ता ने खुलासा न करने पर प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया है।

उसके खिलाफ उस समय लंबित आपराधिक मामले का जब उसने नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जो अक्टूबर के महीने में प्रस्तुत किया गया था।

नवंबर, 2013 और उसके बाद दिनांकित 14.04.2015 घोषणा में। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, प्रतिवादी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था

आई. पी. सी. की धारा 143,341 और 323 के तहत अपराध, दिनांक 17.01.2011 के आरोप पत्र के माध्यम से। विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को आई. पी. सी. की धारा 341 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। हालाँकि, केवल अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत लाभ प्रदान किया गया। अक्टूबर, 2013 के महीने में, अपीलकर्ताओं ने तकनीकी सहायक के पद के लिए एक विज्ञापन और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जारी की।

आवेदन 14.11.2013 था। उक्त विज्ञापन के अनुसार, प्रतिवादी ने उक्त पद के लिए आवेदन किया और लिखित परीक्षा 02.02.2014 पर आयोजित की गई और जिसका परिणाम 31.03.2015 पर घोषित किया गया। प्रत्यर्थी ने 14.04.2015 पर यह घोषणा करते हुए घोषणा प्रस्तुत की कि न तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तारीख तय की गई थी

14.04.2015 और दस्तावेजों के सत्यापन के साथ उन्हें एक घोषणा दायर करने की आवश्यकता थी जिसे उन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा कि न तो कोई अपराधी [2021] 7 एस. सी. आर.

उसके खिलाफ मामला लंबित है और न ही उसे किसी अदालत ने दोषी ठहराया है। इसलिए, आवेदन जमा करने की तारीख पर और उस समय भी जब 14.04.2015 पर घोषणा दायर की गई थी, पहले से ही एक

उसके खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश। प्रासंगिक समय पर भी, अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्रतिवादी को नहीं दिया गया था, जिसे बाद में विद्वान सत्र न्यायालय के फैसले के माध्यम से दिया गया था।

दिनांकित 09.09.2015।

6.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्त करने के बाद 31.08.2015was दिनांकित कारण बताएँ नोटिस का पालन किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर की दिनांक 5.6.2015 की पुलिस सत्यापन/पूर्ववर्ती रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि प्रतिवादी को पहले से ही विद्वान निचली अदालत द्वारा दिनांक 5.8.2013 के फैसले और आदेश के माध्यम से दोषी ठहराया गया था और उसे केवल अधिनियम 1958 की धारा 3 का लाभ दिया गया था। कि इसके बाद यह प्रतीत होता है कि यह महसूस करने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि को देखते हुए और केवल अधिनियम 1958 की धारा 3 का लाभ प्रदान किया गया है, वही उसके रास्ते में आएगा, देर से प्रतिवादी ने विद्वत सत्र न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी।

11.08.2015 , विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.8.2013, अर्थात दो वर्ष की अवधि के बाद पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देना।

यह कि दिनांक 9.9.2015 के निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान सत्र न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, हालांकि अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्रदान किया, जैसा कि अनुरोध किया गया था। 6.2 विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से, यह प्रतीत होता है कि केवल प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया था

अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देने के संबंध में और अपील दायर करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा किया गया, हालांकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश वर्ष 2013 में पारित किया गया था। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दोषसिद्धि की अयोग्यता से बाहर निकलने की दृष्टि से, उन्होंने देर से एक अपील को प्राथमिकता दी और अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देने का आदेश प्राप्त किया। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाद में अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्राप्त करने पर प्रतिवादी भौतिक तथ्य को दबाने और एक झूठी घोषणा दायर करने के आरोपों से बच नहीं सकता है कि न तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, जो 14.04.2015 पर दायर किया गया था।

6.3 इस प्रकार, उस समय जब उसने अक्टूबर/नवंबर 2013 के महीने में नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रतिवादी को पहले ही सक्षम अदालत द्वारा दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा था, जिसका न केवल उसने खुलासा नहीं किया, बल्कि वास्तव में, एक झूठी घोषणा दायर की गई थी कि न तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। कि इसके बाद पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर से दिनांकित 5.6.2015 की पुलिस सत्यापन/पूर्ववृत्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और कारण दर्शाएँ नोटिस देने और प्रतिवादी को सुनने का अवसर देने के बाद, नियोक्ता ने सेवाओं को समाप्त कर दिया भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण/दमन और झूठी घोषणा दायर करने के आधार पर प्रत्यर्थी का।

7. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, विद्वान खंड पीठ के साथ-साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश

और अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर रखी गई निर्भरता, जिस पर प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से भरोसा किया गया था, पर विचार किया जाना आवश्यक है।

8. उपरोक्त मुद्दों पर विचार करते समय, धोखाधड़ी/गलत निरूपण और/या द्वारा प्राप्त नियुक्ति पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय

भौतिक तथ्यों के दमन द्वारा प्राप्त नियुक्ति को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता होती है।

8.1 बी. चिन्नाम नायडू (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि उम्मीदवार द्वारा सत्यापन प्रपत्र और उसके बाद की घोषणा में जानकारी की आवश्यकता का उद्देश्य सेवा में प्रवेश करने या जारी रखने के लिए उसकी उपयुक्तता का न्याय करने के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना और सत्यापित करना है। यह आगे देखा गया है कि जब कोई उम्मीदवार भौतिक जानकारी को दबाता है और/या गलत जानकारी देता है, तो वह नियुक्ति या सेवा में बने रहने के लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। 8.2 देवेंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में, प्रशिक्षण में शामिल होने के दौरान, कर्मचारी को एक शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा गया था जिसमें कुछ निश्चित जानकारी दी गई थी।

जानकारी, विशेष रूप से, क्या वह कभी किसी आपराधिक मामले में शामिल रहा है। कर्मचारी ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि वह कभी भी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा है। कर्मचारी ने अपना प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा किया और इसी समय चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के अनुसरण में नियोक्ता को पता चला कि कर्मचारी वास्तव में एक आपराधिक मामले में शामिल था। यह पाया गया कि उस मामले में अंतिम रिपोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई थी और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार की गई थी। उसी के आधार पर, कर्मचारी [2021] 7 एस. सी. आर.

उन्हें इस आधार पर अचानक छुट्टी दे दी गई कि चूंकि वे एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें बिना जांच किए सेवा से हटाया जा सकता था। उक्त आदेश को कर्मचारी द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने उस आदेश को बरकरार रखा, जो इस अदालत के समक्ष अपील का विषय था। अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा और कहा कि सवाल यह नहीं है कि कर्मचारी इस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। आपराधिक मामले/कार्यवाही की लंबितता ऐसी लंबितता की जानकारी को दबाने से अलग है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले में नैतिक अधमता शामिल न हो, लेकिन इस जानकारी को दबाना ही नैतिक अधमता के बराबर है। यह आगे देखा गया है कि नियोक्ता द्वारा मांगी गई जानकारी यदि आवश्यकता के अनुसार प्रकट नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से भौतिक जानकारी का दमन होगा और इसमें

अंततः, सेवा समाप्त होने के लिए उत्तरदायी हो जाती है, भले ही आगे कोई मुकदमा न हुआ हो या संबंधित व्यक्ति को बरी/छुट्टी दे दी गई हो। इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि जहां एक आवेदक/कर्मचारी को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या सक्षम प्राधिकारी के साथ धोखाधड़ी करके आदेश मिलता है, तो इस तरह के आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है, चर्च संबंधी या अस्थायी "। यह आगे देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बेईमानी को फल देने और उन व्यक्तियों को लाभान्वित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिन्होंने खुद को धोखा दिया है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और ऐसी परिस्थितियों में अदालत को उनकी ओर से याचिकाओं पर विचार करके धोखाधड़ी को कायम नहीं रखना चाहिए। उक्त निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां पैरा में हैं।

12 , 13 , 18 & 25 , जो इस प्रकार हैं:

12. जहाँ तक गलत निरूपण द्वारा नियुक्ति प्राप्त करने का मुद्दा है, यह अब एकीकरण के लिए नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आवेदक इस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। आपराधिक मामले/कार्यवाही की विचाराधीनता इससे अलग है

इस तरह की विचाराधीनता की जानकारी को दबाना। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले में नैतिक अधमता शामिल न हो, लेकिन इस जानकारी को दबाना ही नैतिक अधमता के बराबर है। वास्तव में, नियोक्ता द्वारा मांगी गई जानकारी यदि आवश्यकता के अनुसार प्रकट नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से भौतिक जानकारी का दमन होगा। उस स्थिति में, सेवा समाप्त होने के लिए उत्तरदायी हो जाती है, भले ही आगे कोई परीक्षण या संबंधित व्यक्ति न हुआ हो।

बरी/बरी कर दिया गया।

जशन राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड और एक और वी। अनिल कंवरिया [एम. आर. शाह, जे.]

13. यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि जहां एक आवेदक को मिलता है

एक कार्यालय तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या सक्षम प्राधिकारी पर धोखाधड़ी करके, इस तरह के आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है

कानून की नज़र "। धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है, चर्च संबंधी या अस्थायी। [एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) 1 एस. सी. सी 1: ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 853।] लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड वी. बिस्ले [(1956) 1 क्यू. बी. 702: (1956) 2 डब्ल्यूएलआर 502: (1956) 1 सभी ई. आर. 341 (सी. ए.)] न्यायालय ने बिना किसी संदेह के कहा किः (क्यू. बी पी. 712)

अदालत के किसी फैसले, मंत्री के किसी आदेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यदि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है तो खड़ा होना, क्योंकि धोखाधड़ी सब कुछ उजागर करती है। 18. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात यह है कि बेईमानी को फल देने और उन व्यक्तियों को लाभान्वित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिन्होंने खुद को धोखा दिया है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। ऐसी परिस्थितियों में अदालत को उनकी ओर से याचिकाओं पर विचार करके धोखाधड़ी को कायम नहीं रखना चाहिए। भारत संघ में v. एम.

भास्करन (1995) सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 100 यह न्यायालय, विजयनगरम सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी बनाम में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करने और उसे मंजूरी देने के बाद। एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी (1990) 3 एस. सी. सी. 655, निम्नलिखित रूप में मनाया गयाः (एम. भास्करन मामला, एस. सी. सी. पी. 104 , पैरा 6) यदि धोखाधड़ी करके कोई रोजगार प्राप्त किया जाता है, तो उसे अदालत द्वारा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि धोखाधड़ी से सुरक्षित रोजगार इसे नियोक्ता के विकल्प पर अमान्य कर देता है।

25. इसके अलावा, यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो पक्ष का बाद का आचरण इसे पवित्र नहीं कर सकता है। सुबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस-एक नींव को हटाया जा रहा है, अधिरचना गिरती है। गलत काम करने वाला व्यक्ति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता है और किसी भी कानून के बार को निराश करने का अनुरोध नहीं कर सकता है।

एक सक्षम न्यायालय द्वारा विधिसम्मत विचारण। ऐसे मामले में कानूनी उक्ति नलस कमोडम कैप्रेरे पोटस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिय

लागू होता है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके अपराध की जांच, मुकदमा या सुनवाई नहीं की जा सकती है।

जांच पड़ताल की। [भारत संघ बनाम। मेजर जनरल मदन लाल

यादव (1996) 4 एससीसी 127: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 592: ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1340 और लिली थॉमस बनाम। भारत संघ (2000) 6 एससीसी 224:

(क्रि) 1056।] न ही कोई व्यक्ति अपने अधिकार से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार का दावा कर सकता है।

स्वयं का गलत काम (जस एक्स इंजुरिया नॉन ऑरिटर)।

8.3 जैनेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों का सारांश दिया जिन पर उस मामले में विचार किया जाना चाहिए जहां नियुक्ति प्राप्त की जाती है।

उम्मीदवारों/नियुक्तियों द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और/या दबा करः

" (i) धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्ति के आदेशों को नियोक्ता के विकल्प पर वैध रूप से अमान्य माना जा सकता है या नियोक्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है और ऐसे मामलों में केवल इसलिए कि प्रतिवादी कर्मचारी कई वर्षों तक सेवा में रहा है, इस तरह के धोखाधड़ी से प्राप्त रोजगार के आधार पर, उसके पक्ष में कोई इक्विटी या कोई रोक नहीं मिल सकती है।

नियोक्ता के खिलाफ।

अनुशासित बल को अनुचित कहा जा सकता है। (iii) जब किसी व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति की जाती है, तो यह नियोक्ता पर गलत निरूपण और धोखाधड़ी होगी और इसलिए, यह उसके पक्ष में कोई इक्विटी या नियोक्ता के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाएगा।

बिना किसी जांच के समाप्ति।

(iv) एक उम्मीदवार जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है और/या गलत जानकारी दे रहा है, वह सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और नियोक्ता, रोजगार की प्रकृति के साथ-साथ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेवाओं को समाप्त करने का विवेकाधिकार रखता है।

(v) किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता या निरोध या दोषसिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य भर्ती के समय चरित्र/पूर्वजों के सत्यापन के उद्देश्य से है और ऐसी सामग्री जानकारी को दबाना उम्मीदवार के चरित्र और पूर्वजों पर स्पष्ट रूप से असर डालेगा। (vi) वह व्यक्ति जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया और/या गलत जानकारी दी, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

(vii) वर्दीधारी सेवा में सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षित मानक अन्य सेवाओं से काफी अलग है और इसलिए, किसी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में किसी भी जानबूझकर दिए गए बयान या चूक को गंभीरता से देखा जा सकता है और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है -

नियुक्ति प्राधिकारी को दोष नहीं दिया जा सकता है।

(viii) परिवीक्षाधीन कर्मचारी को सेवा से छुट्टी दी जा सकती है या भौतिक जानकारी को दबाने या उसके संबंध में गलत बयान देने के आधार पर उसे नौकरी से वंचित किया जा सकता है। आपराधिक मामले में संलिप्तता, दोषसिद्धि या निरोध, भले ही अंततः उसे उक्त मामले से बरी कर दिया गया हो, क्योंकि ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति को अवांछनीय या अपराध के लिए अनुपयुक्त बना देगी।

पोस्ट करें।

(ix) वर्दीधारी सेवा में एक कर्मचारी पूर्व-मान लेता है कि एक उच्च

बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
(x) सिपाही नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपे गए अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उम्मीदवार के पूर्ववृत्त का सत्यापन करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह सिपाही के पद के लिए उपयुक्त है और जब तक उम्मीदवार को आपराधिक मामले में बरी नहीं किया गया है, तब तक उसे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है।

सिपाही का "।

8.4 दया शंकर यादव (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास जानकारी मांगने के उद्देश्य पर विचार करने का अवसर था

पूर्वजों सोमोनदोआव। यह देखा और माना जाता है कि पूर्ववृत्त के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना है ताकि पद के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। यह भी देखा गया है कि जब कोई कर्मचारी या भावी कर्मचारी सत्यापन प्रपत्र में चरित्र और पूर्वजों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर घोषित करता है, तो उसके सत्यापन से निम्नलिखित में से कोई भी परिणाम हो सकता हैः

" (क) यदि घोषणाकर्ता ने सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर दिया है और किसी आपराधिक मामले का विवरण प्रस्तुत किया है (जिसमें उसे संदेह का लाभ देकर दोषी ठहराया गया था या बरी कर दिया गया था) साक्ष्य), नियोक्ता
उसे रोजगार की पेशकश करने से इनकार कर सकता है (या यदि पहले से ही परिवीक्षा पर कार्यरत है, तो उसे सेवा से छुट्टी दे सकता है), यदि वह इसकी प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अयोग्य पाया जाता है।

वह अपराध/अपराध जिसमें वह शामिल था।

(ख) दूसरी ओर, यदि नियोक्ता पाता है कि घोषणाकर्ता द्वारा प्रकट किया गया आपराधिक मामला उन अपराधों से संबंधित है जो

तकनीकी, या ऐसी प्रकृति की जो घोषणा करने वाले की रोजगार के लिए योग्यता को प्रभावित नहीं करेगी, या जहां घोषणा करने वाले को सम्मानपूर्वक बरी और दोषमुक्त कर दिया गया था, नियोक्ता इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकता है कि घोषणा करने वाले पर आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया गया था और उसे नियुक्त करने या उसे रोजगार में जारी रखने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(ग) जहां घोषणाकर्ता ने प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया है और सत्यापन पर यह पाया जाता है कि उत्तर गलत थे, नियोक्ता घोषणाकर्ता को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है (या उसे छुट्टी दे सकता है, यदि वह पहले से ही कार्यरत है), भले ही घोषणाकर्ता को हटा दिया गया हो। आरोप लगाया जाता है या बरी किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसके चरित्र से संबंधित भौतिक जानकारी का दमन या गैर-प्रकटीकरण होता है, तो यह स्वयं उद्घोषक को नियुक्त नहीं करने का कारण बन जाता है।

(घ) जहां प्रमाणन प्रपत्र या सत्यापन प्रपत्र में उचित या पर्याप्त प्रश्न नहीं हैं जिनमें घोषणाकर्ता को अपना खुलासा करने की आवश्यकता होती है। किसी भी आपराधिक कार्यवाही में संलिप्तता, या जहां उम्मीदवार आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से अनजान था जब उसने सत्यापन सूची/सत्यापन प्रपत्र में घोषणाएं दीं, तो उम्मीदवार को प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के लिए दोषी नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अगर नियोक्ता किसी अन्य तरीके से (पुलिस का कहना है)

सत्यापन या शिकायतें, आदि) घोषणाकर्ता की भागीदारी के बारे में पता चलता है, नियोक्ता उपरोक्त पाठ्यक्रमों (ए) या (बी) का सहारा ले सकता है।

इसके बाद, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक कर्मचारी हो सकता है

सेवा से बर्खास्त या किसी भावी कर्मचारी को भौतिक जानकारी को दबाने या आपराधिक अपराध के लिए अभियोजन या दोषसिद्धि से संबंधित प्रश्नों के जवाब में गलत बयान देने के आधार पर रोजगार से इनकार किया जा सकता है (भले ही वह अंततः आपराधिक मामले में बरी हो गया हो)।

8.5 अभिजीत सिंह पवार (ऊपर) के मामले में, जब कर्मचारी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, तो उन्होंने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दिया। हलफनामा 22.12.2012 पर दाखिल किया गया था। प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष 2006 में दर्ज एक मामला उस तारीख को लंबित था जब शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, इस तरह का हलफनामा दायर करने के चार दिनों के भीतर, मूल शिकायतकर्ता और कर्मचारी के बीच एक समझौता किया गया और एक आवेदन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड और एक और v।

अनिल कंवरिया [एम. आर. शाह, जे.]

अपराध के चक्रवृद्धि के लिए धारा 320 Cr.P.C के तहत दायर किया गया था। कर्मचारी को समझौते के विलेख को देखते हुए छुट्टी दे दी गई थी। कि उसके बाद कर्मचारी को परीक्षा में चुना गया और उसे चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया। हालाँकि, लगभग उसी समय, उनके चरित्र सत्यापन भी किया गया था और चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पर उचित विचार करने के बाद, उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था। द.

कर्मचारी ने अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य को कर्मचारी नियुक्त करने का निर्देश देने वाले निर्णय और आदेश की पुष्टि खंड पीठ ने की, जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष अपील की गई। अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले सहित इस मुद्दे पर कई फैसलों पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने राज्य के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कर्मचारी की उम्मीदवारी को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि जैसा कि अवतार सिंह (उपरोक्त) में कहा गया है, उन मामलों में भी जहां किसी निष्कर्षित मामले के बारे में सच्चा खुलासा किया गया था, नियोक्ता

फिर भी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार होगा और ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अवतार सिंह (ऊपर) के मामले में निर्णय के पैरा 38.5 को पुनः प्रस्तुत करने और/या पुनः विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पैरा 13 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

13. अवतार सिंह (उपरोक्त) मामले में, हालांकि यह न्यायालय मुख्य रूप से सूचना के गैर-प्रकटीकरण या गलत प्रकटीकरण के प्रश्न से संबंधित था, पैरा 38.5 में यह कहा गया था कि ऐसे मामलों में भी जहां किसी निष्कर्षित मामले के बारे में सच्चा प्रकटीकरण किया गया था, नियोक्ता को अभी भी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार होगा और उसे ऐसी नियुक्ति करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

उम्मीदवार।

उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने समझौते के आधार पर छुट्टी पाने में कर्मचारी की ओर से किए गए आचरण पर भी विचार किया जो शपथ पत्र/प्रकटीकरण दाखिल करने के चार दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त किया गया था। पैराग्राफ 14 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

14. वर्तमान मामले में, जिस तारीख को प्रतिवादी ने आवेदन किया था, उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था। इस तरह के लंबित होने का खुलासा करने वाला एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद ही समझौता किया गया था। अपराधों के संयोजन और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (8) के तहत बरी होने के प्रभाव के मुद्दे पर, इस न्यायालय द्वारा मेहर सिंह (2013) 7 एस. सी. सी. 685 में घोषित कानून, विशेष रूप से पैरा 34 में।

और 35 पूरी तरह से मुद्दे को समाप्त करता है। प्रकटीकरण के बाद भी [2021] 7 एस. सी. आर.

एक उम्मीदवार द्वारा बनाया गया है, नियोक्ता पूर्ववृत्त और उपयुक्तता पर विचार करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा उम्मीदवार। इस पर विचार करते हुए, नियोक्ता निश्चित रूप से उस नौकरी की रूपरेखा को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए चयन किया जाता है, उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और क्या प्रश्न में बरी होना एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल संदेह के लाभ के आधार पर या इसके परिणामस्वरूप था।

रचना.

9. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में मामले के तथ्यों पर निर्धारित कानून को लागू करते हुए, खंड पीठ द्वारा अपील को खारिज करते हुए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए पारित विवादित आदेश, भौतिक तथ्यों का खुलासा/दमन न करने और गलत घोषणा दायर करने के आधार पर कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द करना और खारिज करना और अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी-कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश देना अस्थिर है। 10. इस तथ्य के अलावा कि उस समय जब प्रत्यर्थी ने अक्टूबर/नवंबर, 2013 के महीने में आवेदन किया था, हालांकि वह पहले से ही सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसे केवल अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत लाभ दिया गया था, उसने अपनी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया, लेकिन उस समय भी जब उसने 14.04.2015 पर घोषणा दायर की थी, उसने एक झूठी घोषणा दायर की थी कि न तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और ऐसी घोषणा पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं ने उसे नियुक्ति दी थी। केवल पुलिस अधीक्षक, सवाई से पूर्ववर्ती की रिपोर्ट के पुलिस सत्यापन/प्राप्ति पर

माधोपुर, अपीलार्थियों को प्रतिवादी की दोषसिद्धि के बारे में पता चला। इसलिए, अपीलार्थी प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने में पूरी तरह से उचित थे। 11. यहां तक कि प्रत्यर्थी की ओर से एक अपील में विद्वान सत्र न्यायालय से बाद में आदेश प्राप्त करने का आचरण और

अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्राप्त करना विचार के योग्य है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश 5.8.2013 पर पारित किया गया था। दो साल तक, प्रतिवादी ने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की। लगभग दो वर्ष की अवधि के बाद और इस झूठी घोषणा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद कि न तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उन्हें किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और यह महसूस करने के बाद कि उनकी दोषसिद्धि और लाभ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसाद निगम लिमिटेड और अन्य v.

अनिल कंवरिया [एम. आर. शाह, जे.]

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत केवल उसके रास्ते में ही बाधा आएगी, बाद में दो साल की अवधि के बाद उसने विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष 11.08.29015 पर अपील दायर की और अपील का निपटान एक महीने की अवधि के भीतर किया गया, यानी 9.9.2015 पर और विद्वान सत्र न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12 का लाभ प्रदान किया।

1958. विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने केवल धारा का लाभ देने के लिए प्रार्थना की थी

अन्यथा भी, बाद में अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ प्राप्त करना प्रतिवादी के लिए सहायक नहीं होगा क्योंकि - प्रश्न आई. डी. 1 पर एक झूठी घोषणा दायर करने के बारे में है कि न तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही उसे किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, जो कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अधिनियम 1958 की धारा 12 का लाभ देने वाले आदेश से बहुत पहले था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, बाद में बरी होने के मामले में भी, कर्मचारी ने एक बार झूठी घोषणा की और/या लंबित आपराधिक मामले के भौतिक तथ्य को दबा दिया, वह अधिकार के मामले के रूप में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

12. इस मुद्दे/प्रश्न पर नियोक्ता के दृष्टिकोण से दूसरे कोण से विचार किया जा सकता है। सवाल यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और क्या उसे बाद में बरी कर दिया गया है या नहीं। सवाल ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता के बारे में है जो रोजगार के प्रारंभिक चरण में, यानी घोषणा/सत्यापन और/या जमा करते समय।

किसी पद के लिए आवेदन करने से गलत घोषणा की जाती है और/या आपराधिक मामले में शामिल होने के भौतिक तथ्य का खुलासा और/या दमन नहीं किया जाता है। यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया होता, तो शायद नियोक्ता ने उसे नियुक्त नहीं किया होता। फिर सवाल ट्रस्ट का है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहां नियोक्ता को लगता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही गलत बयान दिया है और/या सामग्री का खुलासा नहीं किया है [2021] 7 एस. सी. आर.

न्यायाधीश ने भौतिक तथ्य को दबाकर और गलत घोषणा दायर करके नियुक्ति प्राप्त करने के आधार पर प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द करने और रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की है। बहाली का आदेश पूरी तरह से असमर्थनीय और अनुचित है। 14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती हैं। द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

डिवीजन बेंच के साथ-साथ, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने और रद्द करने के आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज हो जाती है और बर्खास्तगी का आदेश कायम रहता है।

पुनर्स्थापित किया। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान